न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 198/2024

अनवान : –

1. गुरदीप सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मानसिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. जसनप्रीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरबजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख्या निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 17/15 के खसरा नं. 243 की 3.4140 है0 भूमि, 99/1 की 2.2510 है0 कुल 5.6650 है0 भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 51/15 के खसरा नं. 262/101 की 1.012 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 140/17 के खसरा नं. 261/101 की 1.0110 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल 89 वर्ष का वयोवृद्ध व अनपढ़ व्यक्ति है जिसने मुताबिक पारिवारिक समझोता अपने भाई के पौत्रो को 4–4 बीघा भूमि दिनांक 13.03.2023 को दान की जो कि दान के पश्चात खसरा नं. 99/1 के मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि दाना की जिसका पूर्वी पासा गैरसायल संख्या 1 को 1.012 है0 व पश्चिम पासा की 1.011 है0 गैरसायल संख्या 2 को दान के कब्जा दे दिया जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इसके विपरित दोनो खसरे 99/1 व 101/3 आपस में चिपते हुए है सायल [illegible] खसरा नं. 101/3 की 2.023 है0 भूमि जो कि खाता संख्या 51/15 के खसरा नं. 262/101 की 1.012 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम एवं खाता संख्या 140/17 के खसरा नं. 261/101 की 1.0110 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम सहवन दर्ज हो गई जबकि 99/1 की 2.2510 है0 भूमि के मिन दक्षिण की 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

023 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 1.012 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 व मिन पूर्व की 1.011 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज होनी थी। वर वक्त सीमाज्ञान पता चला तो सायल ने प्रतिवादीगण बार–बार कहा कि उक्त खसरा नं. 99/1 की मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि अपने नाम दर्ज करवा ले तथा गैरसायलान के नाम दर्ज खसरा नं. 261/101 व 262/101 की भूमि सायल के नाम दर्ज करवा दे।

सायल के कब्जा काश्त की समतल व उपजाऊ भूमि को देख कर गैरसायलान के मन में लालच आ गया तथा प्रतिवादीगण दान पत्र की आड़ में सायल के कब्जा की भूमि की भूमि में नाजायज रूप से सींव व डोल को तोड़कर प्रवेश करने की फिराक में है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी प्रकार से नहीं होगी इसलिए सायल गैरसायलान जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद करा पाने का अधिकारी है कि वह सायल के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश ना करे भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को उक्त वाद भूमि जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है तथा मुताबिक दानपत्र गैरसायलान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। अतः गैरसायलन रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्राथीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि अन्य तथ्य मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है?

प्रार्थी का कथन है कि सायल 89 वर्ष का वयोवृद्ध व अनपढ़ व्यक्ति है जिसने मुताबिक पारिवारिक समझोता अपने भाई के पौत्रो को 4–4 बीघा भूमि दिनांक 13.03.2023 को दान की जो कि दान के पश्चात खसरा नं. 99/1 के मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि दाना की जिसका पूर्वी पासा गैरसायल संख्या 1 को 1.012 है0 व पश्चिम पासा की 1.011 है0 गैरसायल संख्या 2 को दान के कब्जा दे दिया जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इसके विपरित दोनो खसरे 99/1 व 101/3 आपस में चिपते हुए है सायल के स्वयं की कब्जाशुदा भूमि खसरा नं. 101/3 की 2.023 है0 भूमि जो कि खाता संख्या 51/15 के खसरा नं. 262/101 की 1.012 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम एवं खाता संख्या 14[illegible] के खसरा नं. 261/101 की 1.0110 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम [illegible] की 2.2510 है0 भूमि के मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 1.012 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 व मिन पूर्व की 1.011 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज होनी थी। वर वक्त सीमाज्ञान पता चला तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल ने प्रतिवादीगण बार–बार कहा कि उक्त खसरा नं. 99/1 की मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि अपने नाम दर्ज करवा ले तथा गैरसायलान के नाम दर्ज खसरा नं. 261/101 व 262/101 की भूमि सायल के नाम दर्ज करवा दे। इसलिए वाद भूमि की जब तक तरमीम न हो तब तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। उक्त तथ्य वाद में साबित होने है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 51/15 के ख0न0 262/101 की 1.0120 हैक्ट व रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 140/17 के ख0न0 261/101 की 1.0110 हैक्ट भूमि में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested